



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102024-257913
CG-DL-E-15102024-257913

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4060]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 2024/आश्विन 20, 1946

No. 4060]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 2024/ASVINA 20, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4423(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 103.756 किमी से 146.436 किमी के NH-143D तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-143D किमी 103.756 से किमी 146.436 तक की भूमि का अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	जिला भू-अर्जन	राष्ट्रीय राजमार्ग	झारखंड	खूंटी	करा	1 डेहकेला

	पदाधिकारी, खुँटी	संख्या NH- 143D के कि.मी 103.756 से कि.मी 146.436 तक			
--	---------------------	---	--	--	--

[फा. सं. NHAI/PIU-GUMLA/LA/143D/3a]

अभय जैन, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th October, 2024

S.O. 4423(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the Competent Authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 103.756 to Km. 146.436 of the NH-143D for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation under Khunti district in the State of Jharkhand.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-143D from Km 103.756 to Km 146.436 in the State of Jharkhand.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	District Land Acquisition officer, Khunti	NH-143D KM 103.756 TO KM 146.436	JHARKHAND	KHUNTI	Karra	1	Dehkela

[F. No. NHAI/PIU-GUMLA/LA/143D/3a]

ABHAY JAIN, Director